विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-04 का उत्तर

	प्रश्न	उत्तर
4(क)	क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जगदीश पाण्डेय ठकुराई अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का पत्र दिनांक- 27 फरवरी, 2023 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय गोरखपुर के विरूद्व प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा और महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित किया गया था, प्राप्त हुआ है?	जी हॉं।
(ख)	यदि हॉं, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है, उसका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के द्वारा जॉच की गयी। जॉच आख्या पत्रांक/शिविर-1/4961/2023-24, दिनांक 05.08.2023 की प्रति संलग्न है।
(ग)	यदि नहीं, तो उक्त प्रकरण में संलिप्त/विलम्ब करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही करायेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।

गुलाब देवी
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गोरखपुर।

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सप्तम मण्डल गोरखपुर।

पत्रांकः शिविर-1/ 4961 /2023-24 दिनांक 05/08/2023

विषयः- श्री जगदीश पाण्डेय, अध्यक्ष ठकुराई, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ, केन्द्रीय कार्यालय, लखनऊ के शिकायती पत्र दिनांक 27.02.2023 के क्रम में निस्तारण **विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री जगदीश पाण्डेय, अध्यक्ष ठकुराई, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ, केन्द्रीय कार्यालय, लखनऊ के शिकायती पत्र दिनांक 27.02.2023 के क्रम में शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, शिक्षा नियुक्ति(1) बेसिक अनुभाग, प्रयागराज के पत्र पत्रांक/नियुक्ति-1, बेसिक/36139/2022-23 दिनांक 23.03.2023 के क्रम में शिकायत के सम्बन्ध में जाँच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश महोदय के कार्यालय के पत्रांक प्रवन्ध-2/11407-08/2022-23 दिनांक 25.03.2023 के द्वारा दिये गये। प्राप्त शिकायती पत्र के क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा श्री एन0पी0 सिंह प्रभारी सह जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को जाँच अधिकारी नामित करते हुए प्रकरण की जाँच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

जॉच अधिकारी श्री एन0पी0 सिंह के पत्र दिनांक 02.08.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायती बिन्दु से सम्बन्धित उत्तर श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव से मॉग किया गया किन्तु श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के कैंसर रोग से पीड़ित होने तथा कैंसर रोग की चिकित्सा हेतु मुंबई चले जाने के कारण उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावलियों में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर शिकायत के सन्दर्भ में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत है-

शिकायती बिन्दु संख्या-1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज, भगवानपुर, गोरखपुर में कार्यरत स्व0 कृष्ण देव द्विवेदी, सहायक लिपिक की सेवाकाल में दिनांक 05.04.2021 मृत्य होने के कारण उनके पुत्र श्री दीपक कुमार द्विवेदी जिनकी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट प्राविधिक कला, बी0काम0, बीएड0 थी, को मृतक अश्रित रूप में नियुक्त करने हेतु पत्रजात प्रेषित किया गया। इसके साथ ही प्रवन्धक के पत्रांक/मेमो/2022-23 दिनांक 19.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय में कार्यरत श्री रामदवन सहायक अध्यापक (कला) के सेवानिवृत्त के फलस्वरूप सहायक अध्यापक (कला) का पद रिक्त है। इसके कम में श्री दीपक कुमार द्विवेदी की मृतक आश्रित के रूप नियुक्त करने की संस्तुति मदन मोहन मलवीय इ0का0, भगवानपुर, गोरखपुर में की गयी है।

इसी प्रकार प्रश्नगत विद्यालय मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज, भगवानपुर, गोरखपुर में कार्यरत स्व0 रेखा द्विवेदी, स0अ0 (कला) की सेवा काल में दिनांक 05.09.2019 को मृत्यु होने के कारण उनके आश्रित संस्कार द्विवेदी की मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु पत्रावली उपलब्ध करायी गयी, जिसके साथ प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव दिनांक 14.08.2022 द्वारा स्व0 रेखा द्विवेदी, सहायक अध्यापक (कला) की मृत्यु के कारण रिक्त पद पर उनके आश्रित श्री संस्कार द्विवेदी जिनकी शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट प्राविधिक कला, बी0एस0सी0 है, को सहायक अध्यापक (कला) के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया। तत्कम में श्री संस्कार द्विवेदी की मृतक आश्रित सहायक अध्यापक (कला) में नियुक्ति की संस्तुति की गयी है।

शिकायती बिन्दु संख्या-2 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बापू इण्टर कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर में कार्यरत स्व0 ओम प्रकाश शुक्ला (प्रवक्ता जीव विज्ञान) की सेवाकाल में दिनांक 09.12.2021 को मृत्यु होने के कारण उनके आश्रित श्री हैपी शुक्ला, जिनकी शैक्षिक अर्हता बी0एस0सी0, बीएड0 है, को मृतक आश्रित के रूप में कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के आदेश दिनांक 07.02.2023 द्वारा सहायक अध्यापक (विज्ञान) के रिक्त पद पर नियुक्त करने की संस्तुति की गयी है, न कि सहायक अध्यापक कला के पद पर किया गया है। प्रबन्धक व प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 10.06.2022 व 17.01

Scanned with OKEN Scanner

2023 के द्वारा रिक्ति की सूचना प्रेषित की गयी है। इस विद्यालय में सहायक अध्यापक (विज्ञान) का पद श्री रामकेश सहायक अध्यापक (जीव विज्ञान) का चयन प्रवक्ता संवर्ग में हो जाने के कारण दिनांक 19.12.2022 को कार्यमुक्त होने के फलस्वरूप रिक्त हुआ है।

शिकायती बिन्दु संख्या–3 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मृतक आश्रित इण्टर कालेज, पिपरसण्डी, गोरखपुर का नहीं है, अपितु बापू इण्टर कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर का है। बापू इण्टर कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर में कार्यरत परिचारक स्व0 अशोक कुमार श्रीवास्तव की सेवाकाल में दिनांक 13.03.2021 को मृत्यु होने के कारण, उनके आश्रित श्री प्रतीक कुमार, जिनकी शैक्षिक अर्हता इण्टर प्राविधिक कला, बी0ए0, एम0ए0 एवं सी0सी0सी0 है, की मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति की संस्तुति राष्ट्रीय इण्टर कालेज, बौलिया रेलवे कालोनी, गोरखपुर में कला अध्यापक के रूप में की गयी है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय इण्टर कालेज, बौलिया रेलवे कालोनी, गोरखपुर के प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 28.12.2022 द्वारा विद्यालय में कला अध्यापक का पद रिक्त होने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है। इस विद्यालय में सहायक अध्यापक का पद श्री गोरखनाथ गुप्त सी0टी0 ग्रेड से एल0टी0 ग्रेड में संविलयन किये गये सहायक अध्यापक के अवकाश ग्रहण करने के कारण रिक्त हुआ है।

शिकायती बिन्दु संख्या–4 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मृतक आश्रित श्री विकास त्रिपाठी के पिता स्व0 त्रिगुणानन्द त्रिपाठी परिचारक के पद पर शास्त्री उ0मा0वि0, जटेपुर रेलवे कालोनी, गोरखपुर में कार्यरत थे। इनकी सेवा काल में मृत्यु के उपरान्त विद्यालय के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य द्वारा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु पत्रावली जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर कार्यालय में प्रेषित किया और पत्रावली के साथ प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया कि विद्यालय में सहायक लिपिक का पद रिक्त नहीं है। ऐसी दशा में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय–3 के विनियम–106 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत अन्य अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय दयानन्द कन्या इण्टर कालेज, गोरखपुर जहाँ सहायक लिपिक का पद रिक्त था, उस पद पर श्री विकास त्रिपाठी का सहायक लिपिक के पद पर नियुक्ति की संस्तुति की गयी।

प्रबन्धक, दयानन्द कन्या इण्टर कालेज, गोरखपुर द्वारा श्री विकास त्रिपाठी को विद्यालय मे रिक्त सहायक लिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण नही कराया गया है जिसके निमित्त कार्यालय द्वारा संस्था प्रबन्धक को अनेकों पत्र प्रेषित किया गया है। प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोरखपुर को जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के पत्रांक मा0–3/4546–47/2023–24 दिनांक 28.07.2023 द्वारा आख्या प्रेषित किया गया है। **(छायाप्रति संलग्न)**

शिकायती बिन्दु संख्या–5 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव कैंसर रोग से पीड़ित हैं। कैंसर रोग की चिकित्सा/कैंसर के आपरेशन हेतु वे दिनांक 24.06.2023 से मुंबई गये है और तब से अद्यतन चिकित्सावकाश पर हैं। श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान सहायक का स्थानान्तरण शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0, प्रयागराज के आदेश संख्या नियुक्ति–1(बे0)/30/2023–24 दिनांक 30.06.2023 द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज में किया गया है। अतः श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान सहायक, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर जो कैंसर के चिकित्सा हेतु वर्तमान में चिकित्सीय अवकाश पर है उनके चिकित्सीय अवकाश से वापस आने पर शिक्षा निदेशक महोदय स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में नवीन स्थानान्तरित कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज के लिए कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

उपर्युक्त के अनुसार प्रकरण पुंजित किये जाने योग्य है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(डॉ0 अमर कान्त सिंह)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
गोरखपुर।

Scanned with OKEN Scanner